



ओ३म्

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

(यू०जी०सी० एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

GURUKULA KANGRI VISHWAVIDYALAYA, HARIDWAR

(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

Date: 04.04-2017

सूचना

अक्टूबर-नवंबर, 2016 में सम्पन्न हुई अंक सुधार/पुनःपरीक्षा के परीक्षाफल के पश्चात छात्र/छात्राओं के आवेदन के आधार पर पुनर्मूल्यांकन कराया गया, जिसमें संलग्नक सूची में उल्लेखित छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों में परिवर्तन हुआ। अतः जिन छात्र-छात्राओं के अंको में परिवर्तन हुए हैं वे छात्र/छात्राएं पूर्व में निर्गत मूल अंक पत्र मूल्यांकन विभाग में जमा करने का कष्ट करें जिससे कि संशोधित अंकपत्र जारी कर सकें।

परीक्षा नियंत्रक

संलग्नक :

उपरोक्त से सम्बन्धित कक्षा के पुनर्मूल्यांकन के परिणाम की प्रति ।

प्रतिलिपि :

1. कुलसचिव
2. संकायाध्यक्ष
3. समन्वयक, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून/हरिद्वार ।
4. वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर
5. नोटिस बोर्ड